रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21062021-227749
CG-DL-E-21062021-227749

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 251] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 18, 2021/ज्येष्ठ 28, 1943
No. 251] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 18, 2021/JYAISTHA 28, 1943

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जून, 2021

सं. 2/11 (7)/09-बीईई.—ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (मान्यता प्राप्त ऊर्जा लेखा परीक्षकों के लिए योग्यता और उनकी सूची का अनुरक्षण) विनियम, 2009 में संशोधन के लिए कुछ विनियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिन्हें केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से ब्यूरो द्वारा ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 58 की उपधारा (2) के खण्ड (च) के साथ पठित धारा 13 की उपधारा (2) के खण्ड (त) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करता है, इससे संभावित रूप से प्रभावित सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए उक्त अधिनियम की धारा 58 की उपधारा (1) द्वारा यथा: अपेक्षित रूप से प्रकाशित किया जाता है; और सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद, विचार किया जाएगा।

आपत्ति या सुझाव, यदि कोई हों, महानिदेशक, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, विद्युत मंत्रालय, चौथा तल, सेवा भवन, आर.के. पुरम, सेक्टर-1, नई दिल्ली-110066 के पास भेजा जाए और ब्यूरो के ई-मेल पर dg-bee@nic.in पर भेजा जा सकता है।

ब्यूरो द्वारा विनियमों के उक्त मसौदे के संबंध में विनिर्दिष्ट अवधि के अंदर किसी भी व्यक्ति की ओर से कोई आपत्ति या सुझाव, यदि कोई हो, प्राप्त होता है तो उन पर ब्यूरो द्वारा विचार किया जाएगा।

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ - (1) इन विनियमों को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (प्रत्यायित ऊर्जा लेखा परीक्षकों और ऊर्जा लेखा परीक्षकों (भवन) की योग्यता और प्रक्रिया और उनकी सूची का रखरखाव), विनियम, 2021 कहा जाएगा;

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषा :- (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "अधिनियम" का अर्थ ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 है;

(ख) "प्रत्यायन सलाहकार समिति" का अर्थ है विनियम 5 के तहत ब्यूरो द्वारा गठित समिति;

(ग) "ऊर्जा लेखा परीक्षक" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (ऊर्जा लेखा परीक्षकों और ऊर्जा प्रबंधकों के लिए प्रमाणन प्रक्रिया) विनियम, 2020 के विनियम 8 के अधीन प्रमाणित ऊर्जा लेखा परीक्षक या प्रमाणित ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) के रूप में एक प्रमाण पत्र जारी किया गया है; "

(ग क) "ऊर्जा लेखा परीक्षक" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (ऊर्जा लेखा परीक्षकों और ऊर्जा प्रबंधकों के लिए प्रमाणन प्रक्रिया) विनियम, 2020 के विनियम 8 के अधीन प्रमाणित ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) के रूप में एक प्रमाण पत्र जारी किया गया है;"

(क) "ऊर्जा सघन उद्योग और अन्य प्रतिष्ठान" का अर्थ है ऊर्जा सघन उद्योग और अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट अन्य प्रतिष्ठान;

(ख) "प्रपत्र" का अर्थ है इन नियमों के साथ जोड़े गए प्रपत्र;

(ग) "अनुसूची" का अर्थ है इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची;

(2) इन विनियमों में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियां जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है किन्तु अधिनियम में परिभाषित किया गया है, क्रमश: अधिनियम के अनुसार इनके अर्थ इन्हें प्रदान किए गए।

3. ऊर्जा लेखा परीक्षक और ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) की मान्यता के लिए योग्यता, मानदंड और शर्तें :- (1) एक ऊर्जा लेखा परीक्षक या ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) को एक प्रत्यायित ऊर्जा लेखा परीक्षक या ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) बनने के लिए योग्य होगा, यदि उसके पास है -

(क) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (ऊर्जा लेखा परीक्षकों और ऊर्जा प्रबंधकों के लिए प्रमाणन प्रक्रिया) विनियम, 2010 के विनियम 8 के अधीन ऊर्जा लेखा परीक्षक या ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) के लिए वैध प्रमाण पत्र है;

(ख) ऊर्जा लेखा परीक्षण में पांच वर्ष का अनुभव है जिसमें से कम से कम तीन वर्ष किसी भी ऊर्जा सघन उद्योग और अन्य प्रतिष्ठानों में होना चाहिए; तथा

(ग) किसी भी ऊर्जा सघन उद्योगों और व्यक्तिगत क्षमता में या किसी ऊर्जा लेखा परीक्षण दल के दल प्रमुख या सहयोगी या सक्रिय सदस्य के रूप में किसी भी ऊर्जा प्रतिष्ठान में कम से कम पांच विस्तृत ऊर्जा लेखा परीक्षण किए और पूरे किए हों; तथा

(2) विनियम 6 के तहत ब्यूरो द्वारा मान्यता का प्रमाण पत्र दिया गया हो।

(3) सक्षमऊर्जा लेखा परीक्षण टीम के गठन के उद्देश्य से, आवेदक अपने तकनीकी ज्ञान को बढ़ाने के लिए और विभिन्न क्षेत्रों के अभिहित उपभोक्ता के संयंत्रों या वाणिज्यिक भवनों या प्रतिष्ठानों में अभिहित उपभोक्ता के बारे में अधिनियम की धारा 14 के खंड (i) के तहत केन्द्रीय सरकार के निदेश के अनुपालन में ऊर्जा लेखा परीक्षण के लिए अपने ऊर्जा लेखा परीक्षण कौशल और क्षमताओं को मजबूत करने के लिए या ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (ऊर्जा लेखा परीक्षण के संचालन की रीति और अंतराल) के अनुसार अधिनियम की धारा 14 के खंड (ध) के अधीन केन्द्रीय सरकार के निदेश के अनुपालन में या 2010 की धारा 14 के उक्त खंड (ध) के अधीन बनाए गए विनियम, जैसा भी मामला हो, के लिए कम से कम

दो विशेषज्ञों जिनमें पूर्णकालिक ऊर्जा लेखा परीक्षक या ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) या अंशकालिक ऊर्जा लेखा परीक्षक या ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) या सलाहकार जिनके पास तापीय, विद्युत उपयोगिताओं, प्रक्रमों, वाणिज्यिक भवनों और अधिनियम की अनुसूची में उल्लिखित ऊर्जा सघन उद्योगों की स्थापनाओं में विशेषज्ञता होगी, के साथ कानूनी रूप से बाध्यकारी व्यवस्थाओं के माध्यम से जुड़ा होगा,

(4) आवेदक के पास निम्नलिखित होगा –

क. क्षेत्र विशेष उपकरणों सहित ऊर्जा लेखा परीक्षण के संचालन के लिए विभिन्न उपकरणों का उपयोग करने में विशेषज्ञता;

ख. कम से कम चार मूल उपकरणों का आधुनिकतम प्रकार होना चाहिए अर्थात्, क्लिप-ऑन-प्रकार, विद्युत मापने के उपकरण, फ्लू गैस विश्लेषक, तापमान और लक्स मापने के उपकरण, जिसका अंशांकन विधिवत रूप से राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रत्यायन बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं द्वारा किया गया है या आवेदक के पास उपरोक्त उपकरणों के नहीं होने की स्थिति में आपूर्तिकर्ताओं को ऐसे उपकरणों के कानूनी रूप से बाध्यकारी व्यवस्था करनी होगी।"

4. प्रत्यायन प्रमाणपत्र प्रदान करने की प्रक्रिया - (1) ब्यूरो, विनियम 3 के खंड (क) और (ख) में निर्दिष्ट योग्यता रखने वाले ऊर्जा लेखा परीक्षकों और ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) के प्रत्यायन के उद्देश्य से योग्य व्यक्तियों से आवेदन की मांग कर सकता है।

(2) उप-विनियम (1) में संदर्भित आवेदन प्रपत्र I में किया जाएगा और इसके साथ होना चाहिए -

(क) ऊर्जा लेखा परीक्षक और ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) द्वारा व्यक्तिगत क्षमता में या ऊर्जा लेखा परीक्षण दल के एक प्रमुख या सहयोगी या सक्रिय दल सदस्य के रूप में किसी भी ऊर्जा सघन उद्योग और अन्य प्रतिष्ठानों में पूरी की गई पांच विस्तृत ऊर्जा लेखा परीक्षण रिपोर्ट;

(ख) ब्यूरो को सौंपी गई पांच ऊर्जा लेखा परीक्षण रिपोर्टों पर प्रतिक्रिया, खंड (क) में निर्दिष्ट, संबंधित ग्राहकों की ओर से होगी, जिनका ऊर्जा लेखा परीक्षण किया गया था;

(ग) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट द्वारा या भुगतान की किसी भी स्वीकार्य इलेक्ट्रॉनिक विधि देय एक हजार रुपए का आवेदन शुल्क;

(घ) एक वचनबद्धता कि आवेदक के पास विनियम 3 के उप-विनियम (3) के खंड (ख) में निर्दिष्ट मूल उपकरण हैं या उक्त उपकरणों के आपूर्तिकर्ता की ओर से एक प्रमाण पत्र;

(ड.) ऊर्जा लेखा परीक्षण के क्षेत्र में न्यूनतम पांच वर्ष के अनुभव का प्रमाण पत्र, जिसमें से तीन वर्ष किसी भी ऊर्जा सघन उद्योगों और अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट अन्य प्रतिष्ठानों और विभिन्न संगठनों में अनुभव के विवरण में होंगे, उक्त संगठन के लेटरहेड पर अलग से प्रमाण पत्र द्वारा विधिवत समर्थन किया जाएगा;

(च) संगठन के लेटर हेड पर उनका एक पत्र, उनके द्वारा जिसका नाम ऊर्जा लेखा परीक्षण का व्यापार करने के लिए उपयोग किया जाता है,

5. प्रत्यायन सलाहकार समिति का गठन - (1) ब्यूरो, प्रत्यायन प्रमाणपत्र प्रदान करने के प्रयोजन के लिए एक प्रत्यायन सलाहकार समिति का गठन कर सकता है।

(2) प्रत्यायन सलाहकार समिति में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (सलाहकार समिति) विनियम, 2008 के विनियम 3 के तहत गठित सलाहकार समितियों के सदस्यों में ब्यूरो द्वारा नामित एक अध्यक्ष और तीन से अधिक सदस्य नहीं होंगे।

(3) प्रत्यायन सलाहकार समिति निम्नलिखित मानदंडों पर उन ऊर्जा लेखा परीक्षकों और ऊर्जा लेखा परीक्षकों (भवन) के ऊर्जा लेखा परीक्षण अनुभव और क्षमता का आकलन करेगी, जिन्होंने मौखिक साक्षात्कार के आधार पर विनियम 4 के तहत मान्यता प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया है, अर्थात्: -

क) आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई पांच विस्तृत ऊर्जा लेखा परीक्षण रिपोर्टों का मूल्यांकन;

ख) ऊर्जा सघन उद्योगों की संख्या और प्रकार जिनमें विस्तृत ऊर्जा लेखा परीक्षण किया गया है;

ग) तापीय, विद्युत उपयोगिताओं और प्रक्रमों में विशेषज्ञता वाले पूर्णकालिक ऊर्जा लेखा परीक्षकों और ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) या अंशकालिक ऊर्जा लेखा परीक्षकों और ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) या सलाहकारों की के साथ आवेदक की संलग्नता, विशेषज्ञों की संख्या और प्रकार और उक्त संघ की प्रकृति ;

घ) कम से कम चार अद्यतन बुनियादी उपकरण होने चाहिएअर्थात क्लिप-ऑन प्रकार, बिजली मापने के उपकरण, फ्लू गैस विश्लेषक, तापमान और लक्स मापने के उपकरण, जो राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रत्यायन बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला द्वारा विधिवत अंशांकित किए गए हैं और ऊर्जा लेखा परीक्षण के संचालन के लिए उक्त उपकरणों का उपयोग करने में विशेषज्ञता रखते हैं;

ड.) ऊर्जा लेखा परीक्षण में अपनाए गए कार्य का तरीका;

च) प्रशिक्षण अनुभव;

छ) क्षेत्र अध्ययन की गुणवत्ता जिसमें अवलोकन, जांच के कौशल, डेटा संग्रह और उत्पादन, तकनीकी ज्ञान की गहराई और विश्लेषणात्मक क्षमताएं शामिल हैं;

ज) ऊर्जा दक्षता में सुधार या ऊर्जा संरक्षण के लिए सिफारिशों की गुणवत्ता;

झ) ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए या ऊर्जा संरक्षण के लिए संस्तुत उपायों का लागत लाभ विश्लेषण करने की क्षमता और ऊर्जा खपत में कमी के लिए सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना तैयार करना; तथा

ञ) ऊर्जा लेखा परीक्षण रिपोर्ट की गुणवत्ता।

(4) उप-विनियम (3) के तहत किए गए मूल्यांकन के आधार पर, प्रत्यायन सलाहकार समिति ऊर्जा लेखा परीक्षक और ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) को मान्यता देने के लिए ब्यूरो को सिफारिश करेगी।

6. प्रत्यायन का प्रमाण पत्र - (1) यदि विनियम 5 के उप-विनियम (4) के तहत प्रत्यायन सलाहकार समिति द्वारा की गई सिफारिश ब्यूरो द्वारा स्वीकार की जाती है तो आवेदक का नाम, विनियम 7 के तहत अनुरक्षित प्रत्यायित ऊर्जा लेखा परीक्षकों या प्रत्यायित ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) की सूची के रजिस्टर,जैसा लागू हो, में दर्ज किया जाएगा, और आवेदक को, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट द्वारा या भुगतान के किसी भी स्वीकार्य इलेक्ट्रॉनिक विधि द्वारा एक हजार रुपए के वार्षिक प्रत्यायन शुल्क के भुगतान पर फॉर्म II में प्रत्यायन का प्रमाण पत्र दिया जाएगा।

(2) ब्यूरो, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से ऊर्जा लेखा परीक्षक या ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) द्वारा मान्यता हेतु दिए गए आवेदन को अस्वीकार कर सकता है और एक माह की अवधि के अंदर उन्हें इसकी सूचना दे सकता है।

(3) प्रत्यायन प्रमाणपत्र तब तक वैध रहेगा जब तक कि इसे विनियम 9 के तहत रद्द नहीं कर दिया जाता।

7. प्रत्यायित ऊर्जा लेखा परीक्षक और ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन), उनके कार्यालयों और फर्मों की सूची का रखरखाव। -

(1) ब्यूरो एक पंजी रखेगा जिसमें मान्यता प्राप्त ऊर्जा लेखा परीक्षकों और ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) की सूची प्रपत्र III में होगी।

(2) प्रत्यायित ऊर्जा लेखा परीक्षक या ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) या ऐसे प्रत्यायित ऊर्जा लेखा परीक्षक या ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) की एक फर्म, व्यापार नाम या फर्म के नाम पर एक कार्यालय खोलने से पहले, व्यापार के नाम या फर्म के नाम का उपयोग करने के लिए अनुमोदन के लिए ब्यूरो में आवेदन करेगा और इस तरह के अनुमोदन पर ब्यूरो मान्यता प्राप्त ऊर्जा लेखा परीक्षकों और ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) के कार्यालयों और फर्मों के रजिस्टर का रखरखाव प्रपत्र IV में करेगा।

(3) ब्यूरो मान्यता प्राप्त ऊर्जा लेखा परीक्षकों और ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) की पहली सूची और प्रत्यायित ऊर्जा लेखा परीक्षकों के कार्यालयों और फर्मों की सूची को अंतिम रूप देते ही प्रकाशित करवाएगा और उसके बाद इन सूचियों को

अद्यतन और नियमित रूप से प्रकाशित किया जाएगा और ब्यूरो की आधिकारिक वेबसाइट www.beeindia.gov.in और ऊर्जा पेशेवरों की वेबसाइट www.beeindia.gov.in पर अपलोड किया गया है।

(4) प्रत्येक प्रत्यायित ऊर्जा लेखा परीक्षण और ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) सूची को अद्यतन करने के उद्देश्य से मान्यता के लिए आवेदन में दी गई जानकारी में किए गए किसी भी बदलाव का ब्यौरा ब्यूरो को प्रस्तुत करेगा।

(5) प्रत्यायित ऊर्जा लेखा परीक्षकों और ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) की अद्यतन सूची की एक प्रति राज्यों की नामित एजेंसियों और नामित उपभोक्ताओं को हर साल अप्रैल के पहले दिन इलेक्ट्रॉनिक मेल के माध्यम से भेजी जाएगी।

8. प्रत्यायित ऊर्जा लेखा परीक्षकों और ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) की सूची के रजिस्टर में नामों को हटाना और बहाल करना - ब्यूरो निम्नलिखित आधारों पर ऊर्जा लेखा परीक्षक की सूची के रजिस्टर से मान्यता प्राप्त ऊर्जा लेखा परीक्षक और ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) का नाम हटा सकता है, अर्थात्: -

क) संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के बाद ब्यूरो संतुष्ट है कि उक्त प्रत्यायन प्रमाण पत्र गलत, भ्रामक या झूठी जानकारी के आधार पर दिया गया है;

ख) व्यक्ति ऊर्जा लेखा परीक्षक और ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) नहीं है या ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (ऊर्जा लेखा परीक्षण के संचालन की रीति और अंतराल) विनियम 2010 के अनुसार एक ऊर्जा सघन उद्योग और अन्य प्रतिष्ठान की ऊर्जा लेखा परीक्षण करने में विफल रहा है;

ग) यदि व्यक्ति व्यावसायिक कदाचार या धोखाधड़ी का दोषी है;

घ) यदि व्यक्ति वार्षिक मान्यता शुल्क का भुगतान करने में विफल रहा है;

ड़) यदि व्यक्ति ने मान्यता प्राप्त ऊर्जा लेखा परीक्षकों या ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) की सूची से अपना नाम हटाने का अनुरोध किया है।

(2) जहां मान्यता प्राप्त ऊर्जा लेखा परीक्षक का नाम उप-विनियम (1) के खंड (ख) या खंड (घ) में निर्दिष्ट आधार पर हटा दिया जाता है, रजिस्टर में उनका नाम उनके द्वारा ऊर्जा लेखा परीक्षण का काम फिर से शुरू करने के बाद दिए गए आवेदन या वार्षिक मान्यता शुल्क के भुगतान पर बहाल किया जाएगा, जैसा भी मामला हो।

"(2क) जहां मान्यता प्राप्त ऊर्जा लेखा परीक्षक या ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) का नाम उप-विनियम (1) के खंड (ड़) में विनिर्दिष्ट आधारों पर हटा दिया जाता है तो मान्यता प्रक्रिया में उनका नाम बहाल नहीं किया जाएगा।

(2ख) जहां मान्यता प्राप्त ऊर्जा लेखा परीक्षक या ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) का नाम उप-नियम (1) के खंड (क) या खंड (ग) में विनिर्दिष्ट आधारों पर हटाया जाना प्रस्तावित है, ऐसे मान्यता प्राप्त ऊर्जा लेखा परीक्षक या ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन), जैसा लागू हो, की मान्यता उक्त खंड में विनिर्दिष्ट घटनाओं के होने तक तुरंत निलंबन के अधीन रखी जाएगी, जब तक कि जांच पूरी न हो जाए और इस घटना में, उक्त मान्यता प्राप्त ऊर्जा लेखा परीक्षक या ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) के विरुद्ध लगाया गया आरोप निर्णायक रूप से जांच में सिद्ध हो जाए, ऐसे मान्यता प्राप्त ऊर्जा लेखा परीक्षक या ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) की मान्यता रद्द कर दी जाएगी और उसका नाम सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से मान्यता प्राप्त ऊर्जा लेखा परीक्षक या ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) की सूची के रजिस्टर से हटा दिया जाएगा।

(2ग) जहां मान्यता प्राप्त ऊर्जा लेखा परीक्षक या ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) का नाम खंड (2 ख) के अधीन, व्यापार के नाम के साथ-साथ फर्म का नाम भी कार्यालयों और फर्मों की सूची में से हटा दिया जाएगा।

(2घ) जहां विनियम 7 के उप-विनियम (2) में विनिर्दिष्ट फर्म में एक से अधिक मान्यता प्राप्त ऊर्जा लेखा परीक्षक या ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) हैं, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को उक्त खण्ड (क) या खण्ड (ग) में निर्दिष्ट घटना के समय गलत, भ्रामक या गलत जानकारी प्रस्तुत करने या व्यावसायिक कदाचार या धोखाधड़ी के दोष के लिए जिम्मेदार माना जाएगा, यदि ऐसा व्यक्ति उस फर्म के व्यापार के संचालन के लिए जिम्मेदार था, साथ ही यह समझा जाएगा कि फर्म ने भी उक्त कथित अनियमितता या कदाचार का कार्य किया है :

बशर्ते कि इस उप-नियम में निहित किसी भी तथ्य के लिए व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं ठहराएगा, यदि वह साबित करता है कि उपरोक्त प्रावधान का उल्लंघन उसके ज्ञान के बिना किया गया था या कि उसने उक्त प्रावधानों के उल्लंघन को रोकने के लिए उचित परिश्रम किया था।

(3) जहां मान्यता प्राप्त ऊर्जा लेखा परीक्षक या ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) की मान्यता रद्द कर दी जाती है और उसका नाम उप-विनियम (1) के खंड (क) या खंड (ग) में निर्दिष्ट आधारों पर हटा दिया जाता है, तो ब्यूरो द्वारा रजिस्टर में नाम की बहाली नहीं की जाएगी।

9. प्रत्यायन प्रमाण-पत्र का निरस्तीकरण-(1) विनियम 8 के अधीन रजिस्टर से नाम हटाने पर ब्यूरो विनियम 6 के अधीन प्रदत्त प्रत्यायन प्रमाण-पत्र को रद्द कर सकता है।

(2) ब्यूरो प्रत्यायन रद्द करने का आदेश जारी करने से पूर्व उक्त प्रमाण-पत्र रखने वाले ऊर्जा लेखा परीक्षक या ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) को सुनवाई का अवसर देगा।

(3) जहां प्रत्यायन प्रमाणपत्र रद्द कर दिया जाता है तो ब्यूरो उक्त प्रमाणपत्र धारक और संबंधित नामित उपभोक्ता को अपना आदेश सूचित करेगा और उसे प्रकाशित भी करेगा और अपनी आधिकारिक वेब साइट पर आवश्यक परिवर्तन अपलोड करेगा।

(4) प्रत्यायन प्रमाणपत्र इसे रद्द करने के आदेश के प्रकाशन की तारीख से रद्द माना जाएगा।

(5) प्रत्यायन प्रमाण-पत्र के रद्द होने पर उक्त प्रमाण-पत्र धारक पंद्रह दिनों के अंदर उसे ब्यूरो में अभ्यर्पित कर देगा।

10. डुप्लीकेट प्रमाण पत्र जारी करना - (1) जहां एक मान्यता प्राप्त ऊर्जा लेखा परीक्षक या मान्यता प्राप्त ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) ने मान्यता का प्रमाण पत्र खो दिया है तो इस संबंध में किए गए आवेदन पर ब्यूरो संबंधित पुलिस स्टेशन के साथ दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट की एक प्रति के साथ विधिवत रूप से ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली के पक्ष में आहरित डिमांड ड्राफ्ट द्वारा या भुगतान की किसी भी इलेक्ट्रॉनिक विधि से पांच सौ रुपए के शुल्क के भुगतान पर एक डुप्लीकेट प्रमाण पत्र जारी कर सकता है।

(2) जहां ब्यूरो द्वारा जारी प्रमाण पत्र क्षतिग्रस्त हो जाता है, ब्यूरो इस संबंध में किए गए आवेदन पर और क्षतिग्रस्त प्रमाण पत्र के अभ्यर्पण पर नई दिल्ली में देय ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के पक्ष में या भुगतान के किसी भी इलेक्ट्रॉनिक विधि से डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से पांच सौ रुपए का शुल्क प्राप्त होने पर डुप्लिकेट प्रमाण पत्र जारी कर सकता है।

11. प्रत्यायित ऊर्जा लेखा परीक्षकों और ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) से संबंधित सूचना,-(1) ब्यूरो प्रत्यायित ऊर्जा लेखा परीक्षकों और/या ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) को प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है -

क) की गई ऊर्जा लेखा परीक्षण के क्षेत्र-वार ब्यौरे और पहचानी गई और हासिल की गई ऊर्जा बचत क्षमता से संबंधित जानकारी; तथा

ख) ऐसी अतिरिक्त जानकारी जिसे वह आवश्यक समझे।

(2) ब्यूरो उप-विनियम (1) के तहत अपने द्वारा प्राप्त जानकारी को अपनी वेब साइट के माध्यम से या अपने किसी प्रकाशन के माध्यम से आम जनता को उपलब्ध करा सकता है।

"प्ररूप - 1

[विनियम 4 (2) देखें]

प्रत्यायन के प्रमाण पत्र के लिए आवेदन

सेवा में,

सचिव
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो
नई दिल्ली

प्रिय महोदय,

मैं .... (कार्य स्थल का पूरा पता) .... में प्रमाणित ऊर्जा लेखा परीक्षक / प्रमाणित ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) के रूप में काम कर रहा/रही हूं और एतदद्वारा मान्यता के प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करता/करती हूं।

2. निम्नलिखित दस्तावेजों की स्वप्रमाणित फोटो-प्रतियां संलग्न हैं: -

(क) प्रमाणित ऊर्जा लेखा परीक्षक / प्रमाणित ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) का वैध प्रमाण पत्र;

(ख) ऊर्जा लेखा परीक्षण के क्षेत्र में न्यूनतम 5 वर्षों के अनुभव का प्रमाण पत्र, जिसमें से, तीन वर्ष ऊर्जा सघन उद्योगों और ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 (2001 का 52) की अनुसूची में विनिर्दिष्ट अन्य प्रतिष्ठानों में होंगे। विभिन्न संगठनों में अनुभव का विवरण ग्राहक संगठन के लेटरहेड द्वारा प्रमाणित किया जाएगा, जिसमें ऊर्जा लेखा परीक्षण आयोजित किया गया था।

(ग) पांच विस्तृत ऊर्जा लेखा परीक्षण रिपोर्टों में प्रमाणित ऊर्जा लेखा परीक्षक / प्रमाणित ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) बनने के बाद उनके द्वारा किए गए ऊर्जा सघन उद्योगों की रिपोर्टें शामिल हैं, और इस तरह की रिपोर्टों में आवेदक के नाम का उल्लेख या तो व्यक्तिगत क्षमता में या ऊर्जा लेखा परीक्षण टीम के एक नेता या सहयोगी या सक्रिय टीम के सदस्य के रूप में होगा;

(घ) ऊर्जा लेखा परीक्षण रिपोर्ट ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (ऊर्जा लेखा परीक्षण के संचालन के लिए रीति और अंतराल) के विनियम, 2010 के अनुपालन में होगी;

(ड) उपरोक्त (ग) में उल्लिखित लेखापरीक्षण रिपोर्टों पर प्रतिक्रिया ऐसे ग्राहक, ऊर्जा सघन उद्योगों या अन्य प्रतिष्ठानों से होगी जिनकी ऊर्जा लेखा परीक्षण उनके द्वारा पूरी की गई थी;

(च) कम से कम चार मूल उपकरणों के नवीनतम रूप की सूची होनी चाहिए, अर्थात्, क्लिप-ऑन-प्रकार, बिजली मापने के उपकरण, फ्लू गैस विश्लेषक, तापमान और लक्स मापने के उपकरण, जिसका अंशांकन विधिवत रूप से राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रत्यायन बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं द्वारा किया गया है और ऊर्जा लेखा परीक्षण के आयोजन के लिए उक्त उपकरणों के उपयोग में विशेषज्ञता होनी चाहिए;

(छ) यदि आवेदक के पास ऊर्जा लेखा परीक्षण के मूल उपकरण नहीं हैं, जो खण्ड (ग) में निर्दिष्ट हैं, वह कंपनी या फर्म से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा, जिनके पास ऐसे उपकरण होंगे जो आवेदक ने अपने ग्राहक के ऊर्जा लेखा परीक्षण के लिए आवेदक द्वारा इस तरह के उपकरणों के उपयोग के लिए कानूनी वैध व्यवस्था में दर्ज किए हों;

(ज) संगठन की ओर से पत्र, जिसका नाम फर्म के नाम के रूप में दिया गया है, जिसके अधीन यथाप्रस्तावित ऊर्जा लेखापरीक्षण किया जाना है।'

3. विधिवत रूप से भरे गए प्ररूप-III और प्ररूप-IV, जो उनके लिए लागू होता है, उसे भी संलग्न किया जाए।

4. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट नंबर ………………… तारीख .... या स्वीकार्य इलेक्ट्रॉनिक मोड से भुगतान द्वारा मैंने निम्नलिखित शुल्क का भुगतान किया है जो संलग्न है : -

(i) हजार रुपए का आवेदन शुल्क; और

(ii) एक हजार रुपए का वार्षिक मान्यता शुल्क।

5. मैं एतदद्वारा घोषणा करता हूं कि कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार पूरी तरह सही और सत्य है।

यह तारीख …….20……. के ……………………… दिन है।

स्थान……………

भवदीय,

हस्ताक्षर ……...........................

नाम ....

पद ...."

10. प्ररूप-II में मौजूदा पैराग्राफ 2, 3 और 5 में, मौजूदा शब्द "मान्यता प्राप्त ऊर्जा लेखा परीक्षकों की योग्यता और उनकी सूची का रखरखाव", के स्थान पर निम्नलिखित शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"योग्यता, मानदंड और शर्तें जिनके अधीन व्यक्ति को ऊर्जा लेखा परीक्षक के रूप में मान्यता दी जा सकती है और ऐसी मान्यता और उनकी सूची के रखरखाव के लिए प्रक्रिया"

1. प्ररूप-III और प्ररूप-IV में

(i) कॉलम 1 के सामने की पक्ति में क्रम सं. 3, 5 और 6 में शब्द "ऊर्जा प्रबंधक" के स्थान पर शब्द "ऊर्जा लेखा परीक्षक/ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन)" प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(ii) कॉलम एक के सामने की पंक्तियों में, मौजूदा क्रम सं. 4 को हटा दिया जाएगा।

(iii) कॉलम एक के सामने पंक्तियों में मौजूदा क्रम सं. 5 (ii) और 6 (ii) को हटाया जाएगा।

11. मूल विनियमों में, अनुसूची हटा दी जाएगी।

अभय बाकरे, महानिदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./114/2021-22]

टिप्पणी : - मूल विनियमों को अधिसूचना सं.02 / 11 (7) / 09-बीईई, तारीख 31.3.2010 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण भाग- III, खण्ड- IV, तारीख 13.4.2010 को प्रकाशित किया गया था।

THE BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th June, 2021

No. 02/11(7)/09-BEE.— The following draft of certain regulations to amend the Bureau of Energy Efficiency (Qualifications for Accredited Energy Auditors and Maintenance of their List) Regulations, 2009 which the Bureau, with the previous approval of the Central Government, proposes to make in exercise of the powers conferred by clause (f) of sub-section (2) of section 58 read with clause (p) of sub-section (2) of section 13 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), is hereby published as required by sub-section (1) of section 58 of the said Act for the information of all persons likely to the affected thereby; and notice is hereby given that the said draft regulations shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Objection or suggestion, if any, may be addressed to the Director General, Bureau of Energy Efficiency, 4th Floor, Sewa Bhawan, R.K. Puram, Sector-1, New Delhi – 110066 and may be sent at the e-mail address of the Bureau at dg-bee@nic.in

The objections or suggestions, if any, which may be received from any person with respect to the said draft regulations within the period so specified, shall be considered by the Bureau.

1. Short title and commencement. - (1) These regulations may be called the Bureau of Energy Efficiency (Qualification and procedure of Accredited Energy Auditors and Energy Auditors (Building) and Maintenance of their List) Regulations, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. - (1) In these regulations, unless the context otherwise requires, -

a) "Act" means the Energy Conservation Act, 2001;

b) "Accreditation Advisory Committee" means a committee constituted by the Bureau under regulation 5;

c) "energy auditor" means a person who has been issued a certificate as certified energy auditor or certified energy auditor (buildings) under regulation 8 of the Bureau of Energy Efficiency (Certification Procedure for Energy Auditors, Energy Auditors (Building) and Energy Managers) regulation, 2020;

ca) “Energy Auditors (Building)” means a person who has been issued a certificate as certified energy auditor (buildings) under regulation 8 of the Bureau of Energy Efficiency (Certification Procedure for Energy Auditors, Energy Auditors (Building) and Energy Managers) Regulations, 2020;”

d) "Energy Intensive Industries and Other Establishment" means the Energy Intensive Industries and other establishment specified in the Schedule to the Act;

e) "Form" means a form appended to these regulations;

f) "Schedule" means the Schedule appended to these regulations.

(2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Qualifications**,** criteria and conditions for accredited energy auditor and Energy Auditor (Building).- (1) An energy auditor or Energy Auditor (Building) shall be qualified to become an accredited energy auditor or Accredited Energy Auditor (Building) if, he-

a) has valid certificate for Energy Auditor or Energy Auditor (Building) under regulation 8 of the Bureau of Energy Efficiency (Certification Procedures for Energy Auditors, Energy Auditor (Building) and Energy Managers) Regulations, 2020;

b) has an experience of five years in energy audit out of which at least three years' shall be in any of the Energy Intensive Industries and Other Establishments; and

c) has undertaken and completed at least five detailed energy audits in any of the Energy Intensive Industries and Other Establishments in individual capacity or as a team leader or associate or active team member of the energy audit team;.

(2) has been granted a certificate of accreditation by the Bureau under Regulation 6.

(3) For the purpose of constituting capable energy audit team, the applicant shall have an association, through legally binding arrangements, of at least two experts including full time Energy Auditors or Energy Auditor (Building) or part time Energy Auditors or Energy Auditor (Building) or consultants, with expertise in

thermal, electrical utilities, processes, commercial buildings and establishments of the energy intensive industries, referred to in the schedule to the Act, to enhance his technical knowledge, and strengthen his energy audit skills and capabilities for undertaking energy audit in compliance with the direction of Central Government under clause (i) of section 14 of the Act regarding the plants of Designated Consumer of the various sectors or Designated Consumers in the commercial buildings or establishments in compliance with the direction of Central Government under clause (s) of section 14 of the Act in accordance with the Bureau of Energy Efficiency (Manner and Intervals of Time for Conduct of Energy Audit) Regulations, 2010 or the regulations framed under the said clause (s) of section14, as the case may be,

(4) The applicant shall have –

a. expertise in using various instruments for conduct of energy audit including sector specific instruments;

b. possession of at least four up-to-date basic instruments namely, clip-on-type, power measuring instruments, flue gas analyser, temperatures and lux measuring instruments which are duly calibrated by a laboratory accredited by the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories or shall have to submit a legally binding arrangement with the suppliers of such instruments in case the applicant is not in possession of the instruments referred to above."

4. Procedure for grant of certificate of accreditation.- (1) The Bureau may, for the purpose of accreditation of energy auditors and Energy Auditor (Building) possessing qualifications specified in clauses (a) and (b) of regulation 3, call for applications from qualified persons.

(2) The application referred to in sub-regulation (1) shall be, made in Form I and be accompanied by-

a) five detailed energy audit reports in any of the Energy Intensive Industries and Other Establishments undertaken by the energy auditor and Energy Auditor (Building) in an individual capacity or as a leader or associate or active team member of the energy audit team;

b) feed back on five energy audit reports submitted to the Bureau, referred to in clause a), shall be from the respective clients, whose energy audits were conducted;

c) application fee of rupees one thousand payable by demand draft drawn in favour of the Bureau of Energy Efficiency, New Delhi or any acceptable electronic mode of payment;

d) an undertaking that the applicant is in possession of basic instruments referred to in clause (b) of sub-regulation (3) of regulation 3 or a certificate from the supplier of such instruments;

e) certificate(s) of experience of minimum of five years in the field of energy audit, out of which three years shall be in any of Energy Intensive Industries and Other Establishments specified in the Schedule to the Act and details of experience in different organizations, shall be duly supported by separate certificate on the letterhead of such organization;

f) a letter from the organization, on their letter head whose name is used by him for doing the business of energy audit.

5. Constitution of Accreditation Advisory Committee. - (1) The Bureau may, for the purpose of grant of certificate of accreditation, constitute an Accreditation Advisory Committee.

(2) The Accreditation Advisory Committee shall consist of a Chairperson and not more than three members to be nominated by the Bureau from amongst members of the Advisory Committees constituted under regulation 3 of the Bureau of Energy Efficiency (Advisory Committees) Regulations, 2008.

(3) The Accreditation Advisory Committee shall assess the energy audit experience and competence of the energy auditor and Energy Auditor (Building)who has applied for a certificate of accreditation under regulation 4 on the basis of an oral interview on the following criteria, namely:-

a) evaluation of five detailed energy audit reports submitted alongwith the application;

b) the number of and the kind of Energy Intensive Industries in which detailed energy audits have been made;

c) association of applicant with number of and kind of experts including full time energy auditors and Energy Auditor (Building)or part time energy auditors and Energy Auditor (Building)or consultants with expertise in thermal, electrical utilities and processes and nature of such association;

d) possession of at least four up-to-date basic instruments namely, clip-on type, power measuring instruments, flue gas analyser, temperature and lux measuring instruments which are duly calibrated by a laboratory accredited by the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories and expertise in using such instruments for conduct of energy audit;

e) manner of work followed in energy audit;

f) training experience;

g) quality of field studies including observations, probing skills, collection and generation of data, depth of technical knowledge and analytical abilities;

h) quality of recommendations for improving energy efficiency or for conserving energy;

i) capacity to undertake cost benefit analysis of recommended measures for improving energy efficiency or for conserving energy and preparation of action plan for implementation of recommendations fOr reduction of energy consumption; and

I) quality of energy audit reports.

(4) On the basis of assessment made under sub-regulation (3), the Accreditation Advisory Committee shall make recommendation to the Bureau for accreditation of energy auditor and Energy Auditor (Building).

6. Certificate of accreditation. - (1) If the recommendation made by the accreditation advisory committee under sub-regulation (4) of regulation 5 is accepted by the Bureau, the name of the applicant shall be entered in the register of List of accredited energy auditors or Accredited Energy Auditor (Building), as applicable,maintained under regulation 7 and a certificate of accreditation in Form II shall be granted to the applicant on payment of annual accreditation fee of rupees one thousand payable by demand draft drawn in favour of the Bureau of Energy Efficiency, New Delhi or by any acceptable electronic mode of payment.

(2) The Bureau may, for reasons to be recorded in writing, reject the application for accreditation made by an energy auditor or Energy Auditor (Building) and intimate the same to him within a period of one month.

(3) The certificate of accreditation shall be valid until it is cancelled under regulation 9.

7. Maintenance of list of accredited energy auditors and Energy Auditor (Building), their offices and firms.- (1) The Bureau shall maintain a register containing list of accredited energy auditors and Energy Auditor (Building) in Form III.

(2) The accredited energy auditor or Energy Auditor (Building) or a firm of such accredited energy auditor or Energy Auditor (Building)shall, before opening an office in the trade name or firm name, apply to the Bureau for approval to use the trade name or the firm name and on such approval, the Bureau shall maintain the register of offices and firms of accredited energy auditors and Energy Auditor (Building)in Form IV.

(3) The Bureau shall cause to be published the first list of accredited energy auditors and Energy Auditor (Building) and list of offices and firms of accredited energy auditors as soon as they are finalised and thereafter these lists shall be updated and published regularly and uploaded on the Bureau's official web-site namely, www.beeindia.gov.in. and energy professionals web site on www.beeindia.gov.in..

(4) Every accredited energy auditor and Energy Auditor (Building) shall submit to the Bureau any change in the information given in the application for accreditation for the purpose of updating the list.

(5) A copy of the updated list of accredited energy auditors and Energy Auditor (Building) shall be sent to the designated agencies of the States and designated consumers on the first day of April every year through electronic mail.

8. Removal and restoration of names in the register of list of accredited energy auditors and Energy Auditor (Building) - The Bureau may remove the name of the accredited energy auditor and Energy Auditor (Building)from the register of list of energy auditor on the following grounds, namely:-

a) the Bureau, after giving an opportunity of hearing to the person concerned, is satisfied that such certificate of accreditation has been granted on the basis of incorrect, misleading or false information;

b) on the person ceasing to be an energy auditor and Energy Auditor (Building)or on his failure to undertake energy audit of an Energy Intensive Industries and Other Establishment in accordance with the Bureau of Energy Efficiency (Manner and Intervals of Time for Conduct of Energy Audit) Regulation 2010;

c) if the person is guilty of professional misconduct or fraud;

d) if the person has failed to pay annual accreditation fee.

e) if the person has requested to remove his name from the list of accredited Energy Auditors or Energy Auditor (Building).

(2) Where the name of the accredited energy auditor is -removed on the grounds specified in clause (b) or clause (d) of sub-regulation (1), his name in the register shall be restored on an application made by him after restarting the work of energy audit or on payment of annual accreditation fee, as the case may be.

(2A) where the name of the accredited Energy Auditor or Energy Auditor (Building) is removed on the grounds specified in clause (e) of sub-regulation (1), his name shall not be restored in the accreditation process.

(2B) where the name of the accredited Energy Auditor or Energy Auditor (Building) is proposed to be removed on the grounds specified in clause (a) or clause (c) of sub-regulation (1), the accreditation of such accredited Energy Auditor or Energy Auditor (Building), as applicable, shall be placed under suspension immediately on the happening of events specified in such clause until inquiry is completed and in the event, the allegation levelled against such accredited Energy Auditor or Energy Auditor (Building) is conclusively proved in the inquiry, the accreditation of such accredited Energy Auditor or Energy Auditor (Building) shall be cancelled and his name shall be removed from the register containing the list of accredited Energy Auditor or Energy Auditor (Building) with the approval of competent authority.

(2C) where the name of accredited Energy Auditor or Energy Auditor (Building) has been removed under clause (2B), the trade name as well as firm's name shall also be removed from the list of offices and firms.

(2D) where the firm referred to in sub-regulation (2) of regulation 7 has on its strength more than one accredited Energy Auditor or Energy Auditor (Building), every such person at the time of happening of the event specified in clause (a) or clause (c) of the aforesaid regulation shall be held responsible for furnishing of incorrect, misleading or false information or guilty of professional misconduct or fraud if such person was responsible for the conduct of the business of that firm as well as the firm shall also be deemed to have acted for commissioning of the aforesaid irregularity or misconduct:

Provided that nothing contained in this sub-regulation shall render the person responsible, if he proves that contravention of the aforesaid provision was committed without his knowledge or that he exercised due diligence to prevent the contravention of the aforesaid provisions.

(3) Where the accreditation of the accredited Energy Auditor or Energy Auditor (Building) is cancelled and his name is removed on the grounds specified in clause (a) or clause (c) of sub-regulation (1), no restoration of name in the register shall be made by the bureau. 9. Cancellation of certificate of accreditation.-(1) On removal of the name from the register under regulation 8, the Bureau may cancel the certificate of accreditation granted under regulation 6.

(2) Before issuing an order of cancellation of accreditation, the Bureau shall give an opportunity of hearing to the energy auditor or Energy Auditor (Building) holding such certificate.

(3) Where the certificate of accreditation is cancelled, the Bureau shall communicate its order to the holder of such certificate and the concerned designated consumer and shall also publish the same and upload necessary changes on its official web site.

(4) The certificate of accreditation shall stand cancelled with effect from the date of publication of the order of cancellation.

(5) On cancellation of certificate of accreditation, the holder of such certificate shall surrender the same to the Bureau within fifteen days.

10. Issue of duplicate certificate - (1) Where an accredited energy auditor or Accredited Energy Auditor (Building)has lost the certificate of accreditation, the Bureau may, on an application made in this behalf, duly accompanied by a copy of first information report lodged with the concerned police station, issue a duplicate certificate on payment of a fee of rupees five hundred by demand draft drawn in favour of the Bureau of Energy Efficiency, New Delhi or by any electronic mode of payment.

(2) Where the certificate issued by the Bureau is damaged, the Bureau may on an application made in this behalf and on surrendering of the damaged certificate, issue a duplicate certificate on receipt of a fee of rupees five hundred by way of demand draft drawn in favour of Bureau of Energy Efficiency payable at New Delhi or by any electronic mode of payment.

11. Information relating to accredited energy auditors and Energy Auditor (Building),-(1) The Bureau may call upon accredited energy auditors and/or Energy Auditor (Building)to furnish—

a) information relating to sector-wise details of energy audit conducted, and the energy saving potential identified and achieved; and

b) such additional information as it considers necessary.

(2) The Bureau may make available the information received by it under sub-regulation (1) to the general public through its web site or through any of its publication.

"Form – I

[See regulation 4 (2)]

Application for Certificate of Accreditation

To

The Secretary

The Bureau of Energy Efficiency

New Delhi.

Dear Sir,

I am working as certified energy auditor/certified energy auditor (building) at ………..…………… ……………………………………. (full address of the place of work) ……………………………………… …………………… and hereby apply for certificate of accreditation.

2. The self – attested photo-copies of the following documents are enclosed: -

(a) Valid certificate of Certified Energy Auditor/Certified Energy Auditor (Building);

(b) Certificate(s) of experience of minimum of 5 years in the field of energy audit, out of which, three years shall be in the Energy Intensive Industries and Other Establishments specified in the Schedule to the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001). Details of experience in different organizations shall be duly supported by certificates on the letter head of the client organization in which the energy audit was conducted.

(c) five detailed energy audit reports inclusive of Energy Intensive Industries carried out by him after he has become certified energy auditor/certified energy auditor (building) and such reports shall mention the name of the applicant, either in an individual capacity or as a leader or associate or active team member of the energy audit team;

(d) The energy audit reports shall be in compliance with the Bureau of Energy Efficiency (Manner and Intervals of Time for Conduct of Energy Audit) Regulation, 2010;

(e) feedback on audit reports referred to in (c) above shall be from such client, Energy Intensive Industries or Other Establishments whose energy audit was conducted by him;

(f) a list of at least four up-to-date basic instruments, possessed by him, namely, clip-on-type, power measuring instruments, flue gas analyser, temperature and lux measuring instruments, duly calibrated by a laboratory accredited by the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories and should have expertise in using such instruments for conduct of energy audit;

(g) in case the applicant does not possess the basic instruments of energy audits, referred to in clause (c), he shall furnish a certificate from the company or firm having such instruments that the applicant has entered into legal valid arrangements for their use as and when such instruments are required by the applicant for undertaking energy audit of his client;

(h) letter from the organization, whose name is given as Firms' name, under which energy audit as proposed has to be conducted.'

3. The duly filled in Form-III and Form-IV as it is applicable to him shall also be enclosed.

4. I am enclosing /have paid the following fees by demand draft No………… dated ………. drawn in favour of the Bureau of Energy Efficiency, New Delhi or by an acceptable electronic mode of payment: -

(i) application fee of rupees on thousand; and

(ii) annual accreditation fee of rupees one thousand.

5. I hereby state that the information furnished above is true and correct to the best of my knowledge.

Dated this………………………. day of …….20…….

Place…………….

Yours faithfully,

Signature..………………………

Name…………………………....

Designation…………………….”

10. In Form II, in existing paragraph 2, 3 and 5, for the existing words “Qualifications for Accredited Energy Auditors and Maintenance of their List”, the following words shall be substituted, namely: -

“the qualifications, criteria and conditions subject to which a person may be accredited as an energy auditor and the procedure for such accreditation and maintenance of their list”

1. In Form III and Form IV

(i) in rows against column one, in serial number 3, 5 and 6, for the words “Energy Manager”, the words “Energy Auditor / Energy Auditor (Building)” shall be substituted.

(iv) in rows against column one, the existing serial number 4 shall be omitted.

(v) in rows against column one, in existing serial number 5 (ii) and 6 (ii) shall be deleted.

11. In the principal regulations, the Schedule shall be deleted.

ABHAY BAKRE, Director General

[ADVT.-III/4/Exty./114/2021-22]

Note: - The principal regulations were published vide notification No. 02/11(7)/09-BEE, dated 31.3.2010. In the Gazette of India, extraordinary Part-III, section-IV, dated 13.4.2010.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.06.21 21:42:54 +05'30'